न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौ० प्रार्थनापत्र सं. 55/2021
फतेह मोहम्मद बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25/11/21	वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार अभियोजन अधिकारी व श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी उप०। श्रीमान P.C साहब आज अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 6.12.21 को पेश हो।	
6.12.21	वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार अभियोजन अधिकारी व श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी उप०। वकील प्रार्थी ने बहस हेतु अवसर चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 9-12-21 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
9/12/2021	वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार अभियोजन अधिकारी व श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी उप०। वकील प्रार्थी ने बहस हेतु अवसर चाहा, जो दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/12/2021 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
20/12/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार रोयल अभियोजन अधिकारी एवं श्री रामावतार पुनिया प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग नागौर उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 457/2021, पुलिस थाना कोतवाली नागौर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप नम्बर आर.ज.21/जी.बी. 7290 का प्रार्थी एक मात्र रजिस्टर्ड मालिक है, अन्य कोई मालिक दावेदार नहीं है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है। प्रकरण हाजा में उक्त वाहन की पुलिस वालों को कोई आवश्यकता नहीं रही है। उक्त वाहन रख रखाव के अभाव में पड़ी पड़ी खराब होने की पुरी संभावना है। दौराने मुकदमा प्रार्थी [illegible] हर शर्त व आदेश की पालना करेगा, तलब करने प[illegible] कर देगा, खुर्द बुर्द गिरवी बेचान, हस्तान्तरण आदि नहीं करेगा। [illegible] माननीय न्यायालय हाजा के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा [illegible]तनामा पेश करने को तैयार होने का कथन करते हुए [illegible] प्रकरण में जब्तसुदा वाहन [illegible] सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पर सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने [illegible] निवेदन किया है। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी व प्रवर्तन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि वाहन पिकअप नम्बर आर.जे.21जी.बी.7290रसद विभाग द्वारा जब्त किया गया है, जो वर्तमान में पुलिस थाना कोतवाली की सुपुर्दगी में दिया हुआ है। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली नागौर की रिपोर्ट दिनांक–20.12.2021 के अनुसार प्रकरण में	

कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

तारीख हुक्म	फौ० प्रार्थना पत्र सं. 55/2021 फतेह मोहम्मद V/S सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20/12/21 (लगातार)	जब्त शुदा उक्त वाहन पिकअप नम्बर आरजे 21 जीबी 7290 एवं टेक्टर टेंकर के रजिस्टर्ड स्वामी से अनुसंधान किया जाना व उक्त वाहनों के कागजात लिये जाकर अनुसंधान किया जाना शेष है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप नम्बर आर.जे.21 जी.बी. 7290 पर 1000 लीटर क्षमता की पारदर्शी सफेद रंग की टंकी बनी है, जिसके अन्दर 115 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है। उक्त टंकी पर वाहनों में तेल भरने के लिए एक डिसपेन्सिग यूनिट लगी है और इसके साथ ही इलेक्ट्रोनिक मीटर लगा है, जिसमें डिसपेन्सिग यूनिट से निकाले जाने वाले तेल की मात्रा प्रदर्शित होती है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा पिकअप वाहन आर.जे. 21 जीबी. 7290 मय 115 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व ट्रेक्टर टैंकर मय 02 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या–113/2021 सरकार बनाम मनीष न्यायालय हाजा में विचाराधीन है, इसलिए भी उक्त वाहन को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई उचित नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सीआरपी खारिज करने का निवेदन किया है। वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड एवं पुलिस केश डायरी का अवलोकन किया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली नागौर की रिपोर्ट दिनांक–20.12.2021 के अनुसार प्रकरण में जब्त शुदा उक्त वाहन पिकअप नम्बर आरजे 21 जीबी 7290 एवं टेक्टर टेंकर के रजिस्टर्ड स्वामी से अनुसंधान किया जाना व उक्त वाहनों के कागजात लिये जाकर अनुसंधान किया जाना शेष है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप नम्बर आर.जे.21 जी.बी. 7290 पर 1000 लीटर क्षमता की पारदर्शी सफेद रंग की टंकी बनी है, जिसके अन्दर 115 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है। उक्त टंकी पर वाहनों में तेल भरने के लिए एक डिसपेन्सिग यूनिट लगी है और इसके साथ ही इलेक्ट्रोनिक मीटर लगा है, जिसमें डिसपेन्सिग यूनिट से निकाले जाने वाले तेल की मात्रा प्रदर्शित होती है। उक्त संबंध में जब्तशुदा पिकअप वाहन आर.जे. 21 जीबी. 7290 मय 115 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व ट्रेक्टर टैंकर मय 02 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या–113/2021 सरकार बनाम मनीष न्यायालय हाजा में विचाराधीन होने से उक्त जब्तशुदा वाहन को जमानतनामा एवं सुपर्दगीनामा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया। पुलिस केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर यह पत्रावली रसद मामला संख्या 113/2021 के साथ नत्थी हो। (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर कलक्टर नागौर	

मूल प्रतिलिपि प्राप्त की।
9636040836
PS नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:05 IST
Reason: SelfAttested